



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY
कानपुर/Kanpur-208002

रैगिंग निरोधक दिग्दर्शिका
ANTI-RAGGING GUIDELINES
2018-2019

Telephone No.: 0512-2534001-05
Fax : 0512-2533812 Website : <http://www.hbtu.ac.in>



OF THE UNIVERSITY
(Erstwhile HBTI Kanpur)

*To become a leader of innovation in
the field of technological
developments, capable of producing
quality engineers & technologists
compatible with world standards to
deliver the benefits of developed
technologies to the people.*

सन्देश

जैसा कि आप अवगत है कि रैगिंग जैसी बुराई से नवागन्तुक छात्र-छात्रायें पूर्व से ही भयभीत/शंकाग्रस्त रहते हैं और ऐसे में यदि उनके या किसी अन्य के साथ रैगिंग से सम्बन्धित कोई अप्रिय घटना घटती है तो वे उसे स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित व्यक्ति के समक्ष अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार इन अवांछित गतिविधियों की पूरी जानकारी न मिल पाने के कारण रैगिंग को रोकने हेतु पूरे मनोयोग से लगे व्यक्ति भी रैगिंग को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं। उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि नवागन्तुक छात्र-छात्राओं से यथा संभव सम्पर्क रखते हुए उनके मन में यह विश्वास जागृत करने का प्रयास करें कि उनके हितों को संरक्षित रखते हुए उद्दण्ड व्यवहार करने वाले छात्र छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यद्यपि रैगिंग जैसी सामाजिक बुराई के बारे में आप सभी भिन्न हैं फिर भी रैगिंग को परिभाषित किया जाना समीचीन होगा। कोई ऐसा असभ्य, अभद्र, झगड़ालू, शोरगुल वाला, निर्दयी, अनियन्त्रित व्यवहार (जो कि शब्दों या कार्यों द्वारा हो) जिसका प्रभाव लज्जाजनक, अपमानजनक, कलंकित करने वाला, घबराहट या व्याकुलता पहुंचाने वाला हो या किसी प्रकार का भय, डर, शंका उत्पन्न करने वाला हो अथवा नवागन्तुक छात्र को किसी ऐसे कार्य हेतु बाध्य करना जो कि वह साधारणतया न करता/करती हो, जैसे कि नवागन्तुकों की विशिष्ट पहचान हेतु किसी प्रकार का ड्रेसकोड अपनाने, गर्दन झुकाकर चलने को बाध्य करना आदि। उपरोक्त वर्णित सभी गतिविधियां रैगिंग की परिधि में आती हैं एवं पूर्ण रूप से निषिद्ध घोषित हैं, चाहें विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर या बाहर कहीं पर क्यों न की गयी हो। इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि रैगिंग से सम्बन्धित किसी भी छोटी सी घटना की भी जानकारी को यथाशीघ्र चीफ प्रॉक्टर, प्रॉक्टोरियल बोर्ड,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण, छात्रावास अभिरक्षकों एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

रैगिंग को वि.वि. से समूल नष्ट करने के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ-साथ विशेष कार्य योजना की आवश्यकता है, जिस हेतु आप सभी का सक्रिय सहयोग वांछित है। यद्यपि विशिष्ट दायित्वों के साथ-साथ विशेष समयावधि एवं क्षेत्रों के लिए एन्टीरैगिंग समितियों के गठन का आदेश अलग से निर्गत किया गया है किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उन लोगों, जिनको उक्त समितियों में सम्मिलित नहीं किया गया है, की जिम्मेदारी, महत्व व उपयोगिता किसी से कम है। अतः समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के तात्पर्य में हम सभी एच०बी०टी०यू० परिवार के सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी है कि रैगिंग जैसी कुप्रथा को विश्वविद्यालय से समूल समाप्त करने हेतु एकजुट होकर अपना योगदान सुनिश्चित कर, विश्वविद्यालय का गौरव वर्धन करें।

कुल सचिव

अपील

प्रिय छात्र एवं छात्राओं

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर (पूर्ववर्ती हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर) में विगत वर्षों से रैगिंग जैसी किसी भी घटना का न होने के लिए हम आपके आभारी हैं, एवं भविष्य में इस विश्वविद्यालय से इस कृप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने में आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्रों से हमारी विशेष अपील है कि वह रैगिंग को पूरी तरह समाप्त करने, किसी भी तरह की अप्रिय घटना में सम्मिलित न होने, अनुशासन बनायें रखने एवं कनिष्ठ छात्रों के मार्ग दर्शन में तथा इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा बनाये रखने में प्रॉक्टोरियल बोर्ड को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। साथ ही कनिष्ठ छात्रों से भी अपेक्षा है कि वह वरिष्ठ छात्रों का यथोचित सम्मान करें एवं भाई-चारा बनाये रखें।

रैगिंग निरोधक दिग्दर्शिका (2018-19) की यह पुस्तिका आपको इसलिये दी जा रही है कि इसको पढ़कर आप रैगिंग के परिणामों एवं इसके कृप्रभाव से भली भाँति परिचित हो सकें तथा भविष्य में इसे पूरी तरह समाप्त करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

रैगिंग निरोधक दिग्दर्शिका (2018-19) के अन्तिम पृष्ठों पर जो शपथपत्र एवं प्रारूप दिये गये हैं उनको पंजीकरण के समय ही भरकर प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से पंजीकरण अधिकारी के पास शैक्षिक विभाग में वापस जमा करना होगा।

चीफ प्रॉक्टर

HELPLINE
HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY
KANPUR

ACADEMIC SESSION : 2018- 19
THE FRESHERS MAY CONTACT THE FOLLOWING OFFICIALS
FOR HELP AND GUIDANCE

Name & Designation of Officer	Contact Number
Prof. N.B. singh Hon'ble Vice Chancellor	9721456001
Prof. Karunakar Singh ProVice Chancellor	9721456081
Prof. Manoj Kumar Shukla Registrar	9721456021
Shri Rajesh Singh Finance Controller	7081300501
Ms. Rita Sachan Finance & Accounts Officer	9721456003
Prof. Anand Kumar Dean, Academic Affairs	7081300504
Prof. Ram Naresh Dean, Students' Welfare/Chief Proctor	7081300544
Prof. Alak Kumar Singh Associate Dean, Student's Welfare/Dy. Chief Proctor	7081300516
Shri J.K. Dwivedi Officer Incharge Security/ Warden L.V. New	9721456026
Dr. Prabhat Verma Warden L.V. Old	7081300515 9935654823
Dr. Lalit Kumar Singh Warden WCH - I	7081300565 9415161248
Dr. S.K.S. Yadav Warden WCH - II	9889096262 7081300522
Dr. Chhagan Lal Warden WCH - III	7081300511
Mr. A.K. Rathore Warden WCH - IV	9721456051

Dr. (Mrs.) Archana Singh Warden Girls Hostel-I	7081300642 8004522120
Prof. (Mrs.) Indira Nigam Warden Girls Hostel-II	7081300527 9450333748
Prof. (Mrs.) Rekha Bali Smt. Poonam Malhotra Warden Girls Hostel-III	7081300545 7499545695 7081300599
Dr. (Mrs.) Anita Yadav Warden Girls Hostel-IV	9721456045 9839891230
Dr. A.K. Shankhwar Warden DBRA - I	9721456076 9415131461
Mr. Sumant Chaterjee Warden DBRA - II	7081300542 9793290586

RAGGING

(As defined by the Hon'ble Supreme Court of India)

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any junior student, indulging in rowdy or indisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension there of in a fresher or a junior student or asking the students (s) to do any act or perform something which the student will not do in a ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or junior student.

The cause of indulging in ragging is deriving a sadistic pleasure or showing of power, authority or superiority by the seniors over their juniors or fresher.

Ragging is banned in the university. Anyone indulging in ragging will be punished appropriately along with filing a FIR with the local police authorities. The punishment may include :

- 1. Outright expulsion from the University.**
- 2. Barring from appearing for placement interviews.**
- 3. Withholding results, scholarships or other benefits.**
- 4. Fine with a public apology.**
- 5. Suspension from the classes for a limited period.**
- 6. Suspension from the University for a period.**
- 7. Suspension or expulsion from hostel or mess.**

रैगिंग

रैगिंग एक ऐसी अशोभनीय एवं अनैतिक कृत्य है जिससे वस्तुतः किसी का लाभ नहीं होता है। इसलिए वरिष्ठ छात्र/छात्राओं से अपील है कि ऐसे कार्यों में लिप्त न हों।

माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार

व्यापक अर्थों में रैगिंग किसी वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के साथ किया गया एक ऐसा अवांछनीय कृत्य है जो कि :-

1. लिखित अथवा कथित अशिष्ट शब्दों द्वारा किया गया हो।
2. उसके साथ कठोर मजाक एवं शारीरिक यातना जो कि उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से किया गया हो।
3. ऐसे उद्दण्ड एवं अनुशासनहीन कार्यों में लिप्त होना जिससे किसी को अशांति, कठिनाई या मानसिक कष्ट हो अथवा होने की संभावना हो एवं उनके अन्दर भय या संकोच के भाव उत्पन्न होने लगे।
4. उनको किसी ऐसे कार्य के लिए बाध्य करना जो कि साधारणतया वह न करता/करती हो और जिसके परिणाम स्वरूप लज्जा एवं आत्म सम्मान में गिरावट का भाव जागृत हो, जिससे कि उनके शरीर अथवा मन पर कोई दुष्प्रभाव पड़े।

विश्वविद्यालय में रैगिंग पूर्णतयः प्रतिबन्धित है। रैगिंग से सम्बन्धित किसी भी घटना में लिप्त पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के खिलाफ स्थानीय पुलिस प्रशासन/थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के साथ ही निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकता है।

1. सीधे विश्वविद्यालय से निष्कासन।
2. सेवायोजन हेतु होने वाले कैम्पस साक्षात्कार में सम्मिलित होने से रोका जाना।
3. परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं का रोका जाना।
4. जुर्माने के साथ ही सार्वजनिक रूप से मॉफी मांगना।
5. एक सीमित समयावधि के लिए कक्षाओं से निलम्बन।
6. एक समयावधि के लिए विश्वविद्यालय से निलम्बन।
7. छात्रावास अथवा मेस से निलम्बन या निष्कासन।

RAGGING

According to the UTTAR PRADESH PROHIBITION

OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT-2010

(U.P. ACT No. 14 of 2010, as passed by the Uttar Pradesh Legislature)

“Whoever directly or indirectly commits, participates, abets or propagates ragging within or outside Institute premises shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both. Any student convicted of an offence shall not be admitted in any educational institution for a period which may extend to five years from the date of order of debarring.

“जो कोई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से संस्थान के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रिेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के लिए किसी भी कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।”

रैगिंग में लिप्त पाये गये दोष सिद्ध किसी छात्र को विचर्जन के दिनों से ऐसी अवधि के लिए जो पांच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा।

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में
(पूर्ववर्ती हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान)
शैक्षिक सत्र 2018-19 में रैगिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त
करने के लिये किये गये उपाय

रैगिंग से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग का प्रतिबन्ध अधिनियम-2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं014 सन् 2010 जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) के अनुसार तथा समय-समय पर प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों के तास्तम्य में रैगिंग जैसी कुप्रथा को समूल समाप्त करने हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

1. सत्र के प्रारम्भ में ही रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे होने की सूचना वि.वि. में जगह-जगह पर प्रचारित एवं प्रसारित कर दी गयी है, तथा रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था को बैनर/पोस्टर के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जा चुका है।
2. प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक से प्रवेश के समय शपथ पत्र ले लिया गया है कि यदि उनके पाल्य को रैगिंग में लिप्त पाया गया तो वि.वि. से निष्कासित कर दिया जायेगा।
3. वि.वि. में सत्र प्रारम्भ होने से कम से कम दो माह हेतु रैगिंग निरोधी दस्ते अनिवार्य रूप से बनाये गये हैं। इन दस्तों द्वारा प्रतिदिन छात्रावासों तथा परिसर में एकान्त स्थलों पर व ऐसे स्थानों पर जहां पर रैगिंग की संभावना हो जैसे पुस्तकालय, कैंटीन आदि का निरीक्षण किया जायेगा। छात्रावास परिसरों में विशेष रूप से रात्रि एवं अवकाश के समय तथा शिक्षण कक्षाओं के समीप दस्तों/सदस्यों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा।
4. यदि किसी के द्वारा कोई अनौपचारिक ड्रेस कोड विशेष कर प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु बनाये जाने की बात प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध

कार्यवाही की जायेगी।

5. एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय प्रथम वर्ष के छात्रों की विशेष सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है।
6. वि.वि. में जहां प्रथम वर्ष के छात्र रहते हैं, वहां पर यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी सुरक्षाकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं वे रात्रि में छात्रावासों के चारों ओर गश्त लगाये। इस हेतु उनको पूरी तरह हिदायत दे दी गयी है।
7. प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में नये छात्रों को वि.वि. के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्रदान कर दी जाती है जिससे की वरिष्ठ छात्रों द्वारा नये छात्रों को कम जानकारी होने का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।
8. नवागन्तुक छात्रों के लिए छात्रावास परिसर, वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास से दूर रखने का प्रयास किया गया है।
9. छात्रावास के वार्डन का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी दशा में छात्रावासों में वर्तमान में शिक्षारत छात्रों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित करेंगे, इस हेतु समस्त वार्डन को सूचित कर दिया गया है।
10. वि.वि. में अध्ययनरत वरिष्ठ छात्रों को भी रैगिंग रोकने हेतु सम्मिलित किया गया है, तथा उनका दायित्व निर्धारित किया गया है।
11. वि.वि. परिसर एवं छात्रावासों में सुझाव एवं शिकायत पेटिकाएँ रखी गयी है, जिससे छात्र बिना किसी पहचान के अपने सुझाव एवं शिकायत पेटिका में डाल सके। वि.वि. के अधिकारी स्वयं इन पेटिकाओं में प्राप्त शिकायतों आदि की जांच/निराकरण करायेंगे।
12. वि.वि. एवं छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों के माता पिता एवं स्थानीय अभिभावक के बारे में विस्तृत विवरण (छात्र की फोटो सहित) प्राप्त कर लिया गया है।
13. छात्रावासों में समस्त छात्रों एवं विशेषकर प्रथम वर्ष के लिये छात्रावासों में आने वाले आगन्तुकों के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की गयी है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भी उक्त निर्धारित रात्रिकालीन समय के उपरान्त प्रातःकाल तक बिना अनुमति के बाहर न जाने हेतु अवगत करा दिया गया है।

14. सत्र के प्रारम्भ में कम से कम दो तीन माह तक सायंकाल 8:00 बजे के बाद, किसी भी प्रथम वर्ष के छात्र के साथ किसी भी वरिष्ठ छात्र का सम्पर्क प्रतिबन्धित कर दिया गया है। रैगिंग निरोधी दस्तों द्वारा विशेष रूप से ऐसे छात्रावासों, जहां प्रथम वर्ष के छात्र भी रहते हैं, का आकस्मिक एवं रात्रिकालीन निरीक्षण द्वारा उक्त का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. सभी छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका द्वारा छात्रों की उपस्थिति पंजिका बनाने तथा रात्रि में अनिवार्य रूप से विशेषकर प्रथम वर्ष के छात्रों की उपस्थिति करने के लिए कहा गया है। छात्रों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को उनके दूरभाष/मोबाइल पर समय पर सूचित कर दिया जायेगा कि आपका पाल्य छात्रावास में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा। साथ में यह भी सूचित कर दिया जायेगा कि इस प्रकार की अवहेलना करने पर एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा। छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका से उक्त के पालन करने के लिए अनुरोध किया गया है।
16. वि.वि. में धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ के सेवन पर पूर्णतः रोक लगायी गयी है। यदि कोई छात्र धूम्रपान/मद्यपान करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे दण्डित किया जायेगा।
17. वि.वि. में छात्रों द्वारा परिसर के भीतर लाइसेंस युक्त आग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार रखा जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
18. यदि किसी छात्रावास में रैगिंग का होना पाया जाता है तो उस छात्रावास के अधीक्षक (वार्डेन) की गुणदोष के आधार पर जबाबदेही निर्धारित की जायेगी। वार्डेन सुझाव एवं शिकायत पेटिकाओं में तथा अन्यथा प्राप्त समस्त शिकायतों के सामयिक निस्तारण के लिये उत्तरदायी होंगे।
19. वि.वि. में प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया गया है तथा इसकी औपचारिक जानकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम एवं पते दूरभाष नम्बर/मोबाइल नम्बर सहित मा. कुलपति, एच.बी.टी.यू. कानपुर,

आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, जिलाधिकारी कानपुर नगर, पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन कानपुर, उप पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन कानपुर, अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर कानपुर, ए.सी.एम.-6 कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) कानपुर नगर, क्षेत्राधिकारी, थाना नबाबगंज, स्वरूप नगर कानपुर, क्षेत्राधिकारी, थाना कल्याणपुर कानपुर नगर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, कानपुर मण्डल कानपुर, क्षेत्रीय अधिकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर, कुलसचिव एच0बी0टी0यू0 कानपुर को भी दे दी गयी है।

20. कुलसचिव द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पुरुष/महिला पुलिस को वर्दी अथवा आवश्यकतानुसार सादे भेष में भी वि.वि. एवं छात्रावास परिसर के मुख्य द्वार आदि में भ्रमण करना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है।
21. वि.वि. में इस प्रकार की घटनाओं में दोषी पाये जाये वाले छात्रों पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। संल्पितता के आधार पर छात्रावास से निष्कासन, संस्थान से निलम्बन, जी0पी0मार्क में कटौती, मेस सुविधा से निलम्बन एवं छात्रवृत्ति बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। ऐसी कार्यवाही की सूचना तत्काल शासन को भी प्रेषित कर दी जायेगी।
22. इन सभी सहयोगात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण अन्य छात्रों के संज्ञानार्थ जगह-जगह जहां से छात्र गुजरते हैं, वहां पर चस्पा कर दिया जायेगा।

चीफ प्रॉक्टर

ANTI-RAGGING COMMITTEE

1. Chairman - Vice Chancellor, HBTU Kanpur

2. Members -

(i) Additional City Magistrate - 6, Kanpur

(ii) Circle Officer (Police Deptt.), Swaroop Nagar, Kanpur

(iii) Shri Pankaj Tripathi, Senior Reporter, I-Next, Dainik Jagran, Kanpur

(iv) Shri Manoj Sengar, Gayatri Parivar, Kanpur

(v) Prof. R.K.Trivedi, Deptt. of Oil Technology, HBTU Kanpur

(vi) Prof. Rajive Gupta, Deptt. of Mechanical Engineering, HBTU Kanpur

(vii) Shri Prabhat Pandey, ARTO Kanpur (Guardian)

(viii) Shri Vijay Kumar Tripathi, JE Power Grid Kanpur (Guardian)

(ix) Fresher students - to be nominated later

(x) Ms. Shagun Rajput, Final Year Student, Electrical Engineering, HBTU Kanpur

(xi) Shri Vikas Rai, Final Year Student, Oil Technology, HBTU Kanpur

(xii) Dr. Vipin Pandey, Cataloger, Central Library, HBTU Kanpur

(xiii) Ms. Deenu Niranjan, Research Assistant, Deptt. of Electrical Engg, HBTU Kanpur

It shall be the duty of the Anti-ragging Committee to ensure compliance with the provisions of the AICTE Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-ragging Squads in prevention of ragging in the institution.

Chief Proctor

ANTI-RAGGING SQUADS

In order to have effective control over the incidence of ragging as per the guidelines of Hon'ble Supreme Court of India, UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions 2009 dated 04/07/2009, AICTE notification on Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education, dated 01/07/2009 and to maintain overall discipline amongst the students, the following **Anti-ragging Squads** have been constituted.

East Campus and nearby areas have been divided into three Zones. West Campus is the fourth zone. Each zone will have an **Anti-ragging Squad Leader** to supervise and coordinate the working of the squads. The members of the various squads are requested to remain present, be vigilant and take round in their respective areas for effective checking of the incidence of ragging. The **Anti-ragging Squad Leaders** are requested to divide the members in units as per availability to work in shifts from 9:00 AM to 7:00 PM and send a copy to the Chief Proctor and DSW for information. In case of any incidence of ragging in their zone, the **Anti-ragging Squad Leaders** are requested to communicate it to the Vice Chancellor/Registrar immediately. Dean Students' Welfare and Chief Proctor will be available to extend all necessary help in this regard.

The Anti-ragging Squads will start functioning from morning of 1st August, 2018 and shall continue to work till further orders. All the **Anti-ragging Squad Leaders** are advised to have a meeting of their respective committee members and intimate regarding the placement of the members shift wise to the Registrar, Dean Students' Welfare & Chief Proctor. In absence of **Anti-ragging Squad Leader**, 1st Member of the team will look after the responsibilities of **Anti-ragging Squad Leader**.

1. It shall be the duty of the Anti-ragging Squads to make surprise raids on hostels, and other places in and around University vulnerable to incidents and having the potential for ragging.
2. It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squads to conduct an on-the-spot enquiry into any incidents of ragging referred to it by

the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Chief Proctor for action. Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incidents of ragging, and considerations such other relevant information as may be required.

3. In case of any ragging incidence, the Anti-Ragging Squad leader will also submit a report to Chief Proctor separately who will make arrangements for forwarding of such reports to the Head of Institution and shall keep a copy with himself/ herself.
4. No leave application shall normally be entertained during the duty period. In case of exceptional requirement of leave, the same should be submitted stating reasons to Chief Proctor with specific recommendation of respective Anti-Ragging Squad leaders and it will be sanctioned by the Head of Institution.
5. Dean/Associate Dean, Students' Welfare shall ensure discipline inside all the Hostels with the help of concerned warden(s).
6. At the time of locking and opening of Hostels having newly admitted students, Warden of respective Hostels shall make arrangements for attendance of inmates. No student will leave hostel without prior permission of Warden. If any student is found absent without prior permission of Warden of concerned Hostel, the same has to be reported to the Dean/Associate Dean Students' Welfare.
7. It shall be the duty of respective Anti-Ragging Squad to ESCORT first year students with the help of security guards from Hostels (having newly admitted students) to classes and going back from classes to Hostels.
8. The Hostels of newly admitted students (both boys and girls) will remain closed from 8.00 pm to 06.00 am.

9. Dean Students' Welfare, Associate Dean Students' Welfare, Dean Academic Affairs, Chief Proctor, Dy. Chief Proctor, Proctors will take frequent rounds of the hostels and other sensitive places within and around University especially during night hours.
10. Registrar and other officers will also take necessary steps to avoid any ragging incident in and around the University campus.
11. University Ambulance with driver will be available as and when required.
12. University Medical Officer should be available in person on phone to attend any medical emergency. He has to make sure that life saving drugs and other routine medicines are available in the dispensary.
13. Neither honorarium nor any other type of payment will be made for these duties.

It is requested that this duty must be given top priority to make this session also, free from any incidence of RAGGING.

Zone-1: Main Building-Departments of main building, Laboratories, Classrooms, Front Lawns, Dispensary, Bank, Guest House, Company Bagh, Raina Market and Rawatpur during all the day (Working/Sundays /Holidays)

Anti-ragging Squad Leader: Prof. S.K. Singhal, Deptt. of Mechanical Engineering (Contact No. 9721456057)

S.No.	Name	S.No.	Name
1.	Prof.(Mrs.) Rekha Bali(Math)	11.	Mr. Jitendra Kumar (CHE)
2.	Prof. Arun Maithani (PT)	12.	Dr. Vivek Kumar (FT)
3.	Prof. R.K. Shukla (Physics)	13.	Mr. A.K. Singh (A.E.)
4.	Mr. Brajesh Singh (BE)	14.	Dr. R.S. Yadav (MATH)
5.	Dr. Lalit Kumar Singh(BE)	15.	Mr. Anchit Agarwal (HUM)
6.	Dr. (Mrs.) B.Nigam (HUM)	16.	Mr. Sanjay Kumar (CHEM)
7.	Dr. V.K. Yadav (HUM)	17.	Mr. Kuldeep Kumar (W.S.)

8.	Dr. P.K.S. Yadav (OT)	18.	Mr. Akshay Kumar Singh (FT)
9.	Dr. (Mrs.) V.D. Kaushik (CSE)	19.	Mr.Pramood Kumar Gaur (W.S.)
10.	Mr. Sumant Chaterjee (LT)	20.	Mr. Roshan Lal (CE)

Zone-2: University Auditorium, Cafeteria, Electrical Engg., Electronics Engg., Civil Engg. Departments, IG-Office and nearby areas on all the days (Workings/Sundays/Holidays).

Anti-ragging Squad Leader: Prof. Pradeep Kumar, Deptt. of Civil Engineering (Contact No. 9721456065)

S.No.	Name	S.No.	Name
1.	Prof.(Mrs.) Indira Nigam (Plastic)	11.	Dr. Vinay Pratap Singh (ME)
2.	Dr. Sanjiv Kumar (EE)	12.	Mr. Israr Mohammad (Elect.Maint)
3.	Mr. Prathvi Pati (CE)	13.	Mr. Ajay Srivastava (W.S.)
4.	Mr. Jameel Ahmed (EE)	14.	Mr. Mahavir Singh (CE.Maint)
5.	Mr. R.K. Ambikesh (ME)	15.	Mr. M.C. Kureel (CSE)
6.	Dr. Rajesh Katiyar (CHE)	16.	Mr. Rajesh Kr. Yadav (CE)
7.	Dr. Ashutosh Singh (ET)	17.	Mr. Raj Kumar (ET)
8.	Dr. (Mrs.) Archana Singh (EE)	18.	Mrs. Manisha Verma (CSE)
9.	Mr. A.K. Rathore (CHE)	19.	Mr. Jaikaran Kureel (W.S.)
10.	Dr. Deepesh Singh (CE)	20.	Mr. Shiv Kr. Kushwaha (Elect.Maint.)

Zone-3: Library, Workshop, Mechanical Engg., Leather Tech., Computer Science & Engg. Departments, Back of Main Building. All passages leading to Nawabganj and Azad Nagar, Vishnupuri and Zoo areas on all the days. (Workings/Sundays/Holidays).

Anti-ragging Squad Leader: Prof. P.K. Kamani, Deptt. of Paint Technology (Contact No.7081300540)

S.No.	Name	S.No.	Name
1.	Prof. Ram Autar(Math)	13.	Mr. Kamlesh Kumar(Workshop)
2.	Dr. S.K.Gupta(CHE)	14.	Mr. Anil Prasad(CE.Maint.)
3.	Dr. Anita Yadav(CSE)	15.	Mr. Praveen Gautam(Library)
4.	Mr. Jitendra Bhaskar(ME)	16.	Mr. V.P.Dixit(CSE)
5.	Dr. Prabhat Verma(CSE)	17.	Mr. V.K.Srivastava(CSE)
6.	Dr. S.K.S.Yadav(ME)	18.	Mr. Ravi Soni(ME)
7.	Mrs. Poonam Malhotra(COE)	19.	Mr. Ram Babu Dubey(Library)

8.	Dr. Vikas Yadav(Phy. Inst.)	20.	Mr. Sanjay Kumar(ME)
9.	Mr. J.B.Bajpai(Workshop)	21.	Mr. Ram Gopal(Central Store)
10.	Mr. Rahul Singh(CSE)	22.	Mr. Shriram Kureel(Workshop)
11.	Mr. R.P.Singh(ME)	23.	Mr. Suneel Kumar(Workshop)
12.	Mrs. Vibha Srivastava(Library)		

Zone-4: Entire West Campus including DBRA Hostel I & II on all the days (Working/Sundays/Holidays).

Anti-ragging Squad Leader: Prof. Yaduvir Singh, Deptt. of Electrical Engg. (Contact No. 7081300508)

S.No.	Name	S.No.	Name
1.	Prof. N.Kohli(CSE)	7.	Mr. R.C.Sonkar(WS)
2.	Mr. S.J.Nagar(BE)	8.	Mr. D.K.Srivastava(LT)
3.	Dr. A.K.Shankhwar(ET)	9.	Mr. Manoj Kumar(WS)
4.	Dr. Chhagan Lal (CHY)	10.	Mr. Chandra Prakash(CHE)
5.	Mr. M.D. Singh(CSE)	11.	Mr. G.C.Gaur(CSE)
6.	Mr. Jitendra Kumar(COE)	12.	Mr. Mahesh B. Dixit(WS)

Vice Chancellor



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर

(पूर्ववर्ती हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर)

फोन : 0512-2534001 • फैक्स : 0512-2533812 • वेबसाइट : <http://www.hbtu.ac.in>

पत्र सं. : 95/सी0पी0ओ0/एन्टी रैगिंग/2018

दिनांक : 31 जुलाई 2018

प्रेषक,

कुलसचिव

सेवा में,

1. प्रभारी निरीक्षक, थाना नवाबगंज, कानपुर-208002
2. प्रभारी निरीक्षक, थाना कल्यानपुर, कानपुर-208024

महोदय,

अवगत कराना है कि एच0बी0टी0यू0 कानपुर का शैक्षिक सत्र 2018-19, माह जुलाई के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ होना सुनिश्चित है। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ रैगिंग सम्बन्धी किसी प्रकार की घटना न हो इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियों आदि का गठन करते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के सहयोग के साथ कार्य योजना बनायी गयी है जिसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन निश्चित होगा। इसी क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष रूप से विश्वविद्यालय के आस-पास के स्थानों के लिए थाने के स्टाफ को भी सूचित करते हुए इस आशय का निर्देश देने का कष्ट करें कि यदि उन्हें किसी भी स्थान पर रैगिंग जैसी स्थिति दृष्टिगत होती है तो ऐसा न होने दे और यह आपके माध्यम से या सीधे जैसी स्थिति हो संस्थान के चीफ प्रॉक्टर, छात्र कल्याण अधिष्ठाता एवं कुलसचिव को तत्काल सूचना देने का कष्ट करें ताकि उक्त के विषय में सम्बन्धित के विरुद्ध अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना उचित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं निर्देशों के क्रम में सामाजिक महत्व के इस कार्य में प्रत्येक जनसेवक का सक्रिय सहयोग अपेक्षित एवं आवश्यक है।

सुलभ सन्दर्भ हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रैगिंग की रोकथाम हेतु गठित समिति सम्बन्धी पत्र संख्या 94/सी0पी0ओ0/एन्टी रैगिंग/2018 दिनांक 28 जुलाई, 2018 एवं चीफ प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा तैयार की गयी हेल्पलाइन जो शैक्षिक सत्र 2018-19 जिसमें वि.वि. के मुख्य अधिकारियों/शिक्षकों के मोबाइल नं0 अंकित हैं एतद् साथ संलग्न है।

रैगिंग की कुप्रथा को रोकने के लिए सचिव प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 438/सोलह-1-2011-1-250/96 दिनांक 21 जुलाई, 2011 के अनुसार (बिन्दु संख्या 20, 21 एवं 22) सत्र के प्रारम्भ में न्यूनतम दो माह तक जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से विश्वविद्यालय में रैगिंग विरोधी कार्यवाही में सहयोग की अपेक्षा की गयी है (छाया प्रति संलग्न)

शासन के उपरोक्त पत्र (बिन्दु संख्या 20) के क्रम में प्रेषित करते हुए मेरा आपसे

अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के चौकी स्टाफ एवं थाना को भी तदनुसार दिशा निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(प्रो. मनोज कुमार शुक्ला)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं प्रभावी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल, सिविल लाइन्स कानपुर-208001
2. जिला अधिकारी, कानपुर, सिविल लाइन्स कानपुर-208001
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जोन कानपुर, सिविल लाइन्स कानपुर-208001
4. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर नगर, सिविल लाइन्स कानपुर-208001
5. उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर, सिविल लाइन्स कानपुर-208001
6. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर कानपुर कोर्ट, सिविल लाइन्स कानपुर-208001
7. अपर जिलाधिकारी प्रशासन, कानपुर नगर कानपुर-208001
8. ए०सी०एम०-६ कानपुर नगर, कानपुर-208001
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, सिविल लाइन्स कानपुर-208001
10. पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) कानपुर नगर, कानपुर-208001
11. क्षेत्राधिकारी थाना नवाबगंज, स्वरूप नगर कानपुर-208001
12. क्षेत्राधिकारी थाना कल्यानपुर, सी०एस०जे०एम० वि. वि. परिसर, कल्यानपुर कानपुर-208024
13. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान अयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
14. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी कानपुर मण्डल, सी०एस०जे०एम० वि. वि. परिसर कल्यानपुर कानपुर-208024
15. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर, निकट-प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, विकास नगर, कानपुर-208002
16. स्टाफ आफिसर, एच०बी०टी०यू० कानपुर को मा० कुलपति के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(प्रो. मनोज कुमार शुक्ला)

कुलसचिव

ANNEXURE-I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

1. (Full name of student with admission/registration/enrollment number s/o/d/o Mr./Mrs,Ms having been admitted to (Name of the Institution) have received

a copy of the UGC Regulations on Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions,2009⁹(here in after called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3. I have, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I here by solemnly aver and undertake that

a. I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the regulations.

b. I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the regulations.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging. I am liable for punishment according to clause 9.1 of the regulation, with out prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any Institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year _____

Signature of Deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) _____ on this the (day) _____ of (month) _____ (year) _____

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this(day) _____ of (month) _____ (year) _____ after reading the contents of this affidavit.

ANNEXURE-II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

1. Mr./Mrs./Ms _____ full name of parent/guardian father/mother/guardian of, full name of student with admission/registration/enrolment number _____ having been admitted to (name of Institution _____ have received a copy of the UGC REGULATIONS OF Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009*, (here in after called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2. I have, in particular, perused clause 3 of the regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I hereby solemnly aver and undertake that
- a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5. I hereby affirm that, if found guilty for ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6. I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my ward admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ Day of _____ Month of _____ Year _____

Signature of Deponent
Name:.....
Address:.....
Pin Code:.....
Telephone/Mobile No :.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) _____ on this the (day) _____ of (month) _____ (year) _____

Signature of Deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) _____ of (month) (year) after reading the contents of this affidavit.

***NO ACT
OF
INDISCIPLINE
SHALL GO
UNNOTICED
AND
UNPUNISHED***

..... H.B.T.U., Kanpur

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार

व्यापक अर्थों में रैगिंग किसी वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के साथ किया गया एक ऐसा अवांछनीय कृत्य है जो कि :-

1. लिखित अथवा कथित अशिष्ट शब्दों द्वारा किया गया हो।
2. उसके साथ कठोर मन्त्राक एवं शारीरिक यातना जो कि उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से किया गया हो।
3. ऐसे उद्देश्य एवं अनुशासनहीन कार्यों में लिप्त होना जिससे किसी को अशांति, कठिनाई या मानसिक कष्ट हो अथवा होने की संभावना हो एवं उनके अन्दर भय या संकोच के भाव उत्पन्न होने लगे।
4. उनको किसी ऐसे कार्य के लिए बाध्य करना जो कि साधारणतया वह न करता/कस्ती हो और जिसके परिणाम स्वरूप लज्जा एवं आत्म सम्मान में गिरावट का भाव जागृत हो, जिससे कि उनके शरीर अथवा मन पर कोई दुष्प्रभाव पड़े।

रैगिंग से सम्बन्धित किसी भी घटना में लिप्त पाये जाने की स्थिति में विन्मनानुसार दण्ड दिया जा सकता है :-

1. सीधे वि.वि. से निष्कासन।
2. सेवायोजन हेतु होने वाले कैम्पस साक्षात्कार में सम्मिलित होने से रोका जाता।
3. परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं का रोका जाता।
4. जुमाने के साथ ही सार्वजनिक रूप से गौरी मांगवा।
5. एक सीमित समयवधि के लिए कक्षाओं से निलम्बन।
6. एक समयवधि के लिए वि.वि. से निलम्बन।
7. छात्रावास अथवा मेस से निलम्बन या निष्कासन।



भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार
रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है



हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर

HELPLINE NOS. : 9721456002, 9721456081, 7081300544, 7081300516, 9721456026

Ragging is a CRIME



HELPLINE NOS.

Registrar : 9721456021

Dean, Students Welfare/Chief Proctor : 7081300544

Associate Dean, Students Welfare/

Dy. Chief Proctor : 7081300516

Officer Incharge Security : 9721456026

R A G G I N G

IS
STRICTLY
PROHIBITED

(under UTTAR PRADESH PROHIBITION OF RAGGING
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT 2010)

Proctorial Board 2018-19
Harcourt Butler Technical University
Kanpur-208 002

S.No.	Name	Designation	C.U.G. Mobile No.
1.	Prof. Ram Naresh	Chief Proctor	7081300544
2.	Prof. Alak Kumar Singh	Dy. Chief Proctor	7081300516
3.	Dr. Anita Yadav	Proctor	9721456045
4.	Dr. A.K. Shankhwar	Proctor	9721456076
5.	Mr. Jameel Ahmad	Proctor	9721456037
6.	Girls / Boys	Representative	

Anti -Ragging Squad Leaders
Anti -Ragging Squads 2018-19

Zone: 1 Prof. S.K. Singhal, Deptt. of Mechanical Engineering
(Contact No. 9721456057)

Zone: 2 Prof. Pradeep Kumar, Deptt. of Civil Engineering
(Contact No. 9721456065)

Zone: 3 Prof. P.K. Kamani, Deptt. of Paint Engineering
(Contact No. 7081300540)

Zone: 4 Prof. Yaduvir Singh, Deptt. of Electrical Engineering
(Contact No. 7081300508)

PROCTORIAL BOARD
ACADEMIC SESSION : 2018-19

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY, KANPUR-208002

(To be filled & submitted by student at the time of admission to the admission incharge)

1. Name	<input type="text"/>	
2. Class/Branch	<input type="text"/>	
3. S.R. No.	<input type="text"/>	
4. Student's Contact No.	<input type="text"/>	
5. Student's E-mail	<input type="text"/>	
6. Hosteller or Day Scholar	<input type="text"/>	
7. Hostel Name & Room No.	<input type="text"/>	
8. Father's Name & Address	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Pin Code <input type="text"/>
9. Father's Contact No.	<input type="text"/>	
10. Local Guardian's Name & Address	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	Pin Code <input type="text"/>
11. Local Guardian's Contact No.	<input type="text"/>	

Certified that I have perused all the rules and regulations and fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging/indisciplinary act/violation of the code and conduct of the university/smoking and alcohol drinking etc.

I have also submitted an affidavit that I will not indulge in any kind of ragging.

1.

2.

Date :

Place :

(Signature of Student)
in Hindi & English